भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 3804

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: नमो ड्रोन दीदी योजना का कार्यान्वयन

3804. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

श्रीमती भारती पारधीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) "नमो ड्रोन दीदी" की मुख्य विशेषताएं और इस संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) "नमो ड्रोन दीदी" योजना के अंतर्गत, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, कितने महिला स्वयंसहायता समूहों के पास ड्रोन हैं;

(ग) वर्तमान में राज्यवार और जिलावार, विशेष रूप से शिरडी-अहमदनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और आकांक्षी जिलों में उनकी संख्या कितनी है;

(घ) क्या ग्रामीण आजीविका और कृषि उत्पादकता पर इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए "नमो ड्रोन दीदी" को अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और उर्वरक विभाग के बीच समन्वय किया गया है;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उक्त एकीकरण के परिणामस्वरूप औसत आय में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को ड्रोन प्रदान करने हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बेहतर दक्षता, बढ़ी हुई फसल उपज और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना और स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन सेवा प्रदाताओं के रूप में सशक्त बनाना है ताकि उनकी आय बढ़े और उन्हें आजीविका सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत, चयनित महिला एस.एच.जी. को ड्रोन पैकेज की लागत के 80% की दर से अधिकतम 8.00 लाख रुपये तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ड्रोन एक पैकेज के रूप में प्रदान किए जाते हैं, जिसमें तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए स्प्रे असेंबली के साथ बेसिक ड्रोन, ड्रोन ले जाने वाला बॉक्स, स्टैंडर्ड बैटरी सेट, डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा, ड्युअल चैनल फास्ट बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर हब, एनीमोमीटर, पीएच मीटर और सभी वस्तुओं पर 01 वर्ष की ऑनसाइट वारंटी शामिल है। पैकेज में 04 अतिरिक्त बैटरी सेट, एक अतिरिक्त प्रोपेलर सेट (प्रत्येक सेट में 6 प्रोपेलर होते हैं), नोजल सेट, ड्युअल चैनल फास्ट बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर हब, एक वर्ष का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, 2 साल का ऐनुअल

मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और लागू जीएसटी भी शामिल है। ड्रोन पैकेज के एक भाग के रूप में एस.एच.जी. के सदस्यों में से एक के लिए 15 दिन का प्रशिक्षण और अन्य सदस्य/परिवार के सदस्य को 5 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एल.एफ.सी.) ने अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए वर्ष 2023-24 में स्वयं सहायता समूहों की ड्रोन दीदियों को 1094 ड्रोन वितरित किए हैं। इन 1094 ड्रोनों में से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किसानों को नैनो उर्वरकों के छिड़काव हेतु किराये पर सेवाएँ प्रदान करने हेतु वितरित किए गए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रमुख उर्वरक कंपनियों द्वारा क्रमशः 47 और 89 ड्रोन वितरित किए गए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों का जिला-वार विवरण क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ): नमो ड्रोन दीदी योजना विशेष रूप से दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रमोटेड स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को लक्ष्यित करती है। स्वयं सहायता समूह एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ ऋण प्राप्त कर सकते हैं। कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.) के अंतर्गत बहु-उपयोगी मशीनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनका उपयोग ड्रोन ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता है।

(च) और (छ): योजना की अधिकार प्राप्त समिति में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव शामिल हैं, जिनके पास योजना के कार्यान्वयन के दौरान योजना के स्वरूप को तय करने/संशोधित करने की सभी शक्तियाँ हैं। यह समिति, योजना को समग्र दिशा और मार्गदर्शन देने, उसकी प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करने वाला निकाय भी है। इन सभी संबंधित विभागों/मंत्रालयों के सदस्यों वाली कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति योजना के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ज़िम्मेदार है और योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी तकनीकी मामलों में पूरी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करती है। राज्य स्तर पर समिति में राज्य के कृषि/कृषि अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास, डीएवाई-एनआरएलएम के राज्य मिशन निदेशालय, राज्य सहकारिता विभाग, अग्रणी बैंक/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्य के लिए नामित एल.एफ.सी. के प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस.ए.यू.)/कृषि विज्ञान केंद्र (के.वी.के.) के सदस्य शामिल होते हैं और यह समिति ड्रोन उपयोग के लिए उपयुक्त क्लस्टरों के चयन, ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए राज्य में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत चिह्नित क्लस्टर्स में प्रगतिशील महिला एस.एच.जी. के चयन, ड्रोन पायलट और ड्रोन सहायक प्रशिक्षण के लिए महिला एस.एच.जी. के सदस्यों के चयन, ड्रोन उपयोग के जिला-वार आकलन, मौजूदा कमियों की पहचान, ड्रोन उपयोग की उपलब्धता और भविष्य की आवश्यकताओं, एलएफसी और कीटनाशक कंपनियों के समन्वय में चयनित महिला एस.एच.जी. को व्यवसाय प्रदान करने/सुनिश्चित करने आदि के लिए जिम्मेदार है।

(ज): एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर (एडीआरटीसी), बैंगलोर द्वारा किए गए अध्ययन से स्पष्ट होता है कि एलएफसी द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए गए ड्रोन ने ड्रोन तकनीक के माध्यम से आधुनिक कृषि पद्धतियों में उनके योगदान का विस्तार किया है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। समग्र रूप से, ड्रोन प्रौद्योगिकी को अपनाने से स्वयं सहायता समूहों की कार्यकलापों में विविधता आई है, कृषि पद्धतियों में सुधार हुआ है और ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के लिए आय के अवसरों में वृद्धि हैं।

अनुबंध-I

महाराष्ट्र के महिला स्वयं सहायता समूहों की जिला-वार संख्या, जिन्हें प्रमुख उर्वरक कंपनियों द्वारा ड्रोन प्रदान किए गए हैं।

क्र.सं.	**महाराष्ट्र राज्य के ज़िलों का नाम**	**एस.एच.जी. की संख्या, जिन्हें एल.एफ.सी. द्वारा ड्रोन प्रदान किए गए**
1.	अहमदनगर	3
2.	अकोला	2
3.	अमरावती	1
4.	बीड	3
5.	भंडारा	1
6.	बुलढाना	1
7.	चंद्रपुर	1
8.	छत्रपति संभाजी नगर	1
9.	धाराशिव	1
10.	धुले	2
11.	गढ़चिरोली	1
12.	हिंगोली	1
13.	जलगांव	1
14.	जलना	2
15.	कोल्हापुर	2
16.	लातूर	1
17.	नंदुरबार	1
18.	नासिक	3
19.	उस्मानाबाद	2
20.	पालघर	1
21.	परभनी	2
22.	पुणे	3
23.	रायगढ़	1
24.	सांगली	3
25.	सतारा	3
26.	सिंधुदुर्ग	1
27.	सोलापुर	1
28.	वर्धा	1
29.	वाशिम	1
	कुल	**47**

अनुबंध-II

मध्य प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूहों की जिला-वार संख्या, जिन्हें प्रमुख उर्वरक कंपनियों द्वारा ड्रोन प्रदान किए गए हैं।

क्र.सं.	मध्य प्रदेश राज्य के ज़िलों का नाम	एस.एच.जी. की संख्या, जिन्हें एल.एफ.सी. द्वारा ड्रोन प्रदान किए गए
1.	आगर मालवा	2
2.	अलीराजपुर	1
3.	बालाघाट	1
4.	बड़वानी	1
5.	बैतूल	1
6.	भिंड	2
7.	भोपाल	1
8.	बुरहानपुर	1
9.	छतरपुर	1
10.	छिंदवाड़ा	2
11.	दमोह	1
12.	दतिया	2
13.	देवास	2
14.	धार	2
15.	डिंडोरी	1
16.	गुना	1
17.	ग्वालियर	6
18.	इंदौर	2
19.	जबलपुर	1
20.	झाबुआ	1
21.	कटनी	3
22.	खंडवा	4
23.	मंडला	3
24.	मुरैना	3
25.	नर्मदापुरम	2
26.	नरसिंहपुर	1
27.	पन्ना	1
28.	रायसेन	7
29.	राजगढ़	3
30.	रतलाम	4
31.	रीवा	2
32.	सागर	5
33.	सतना	5
34.	सीहोर	3
35.	सिवनी	2
36.	शाजापुर	1
37.	श्योपुर	1
38.	शिवपुरी	1
39.	सीधी	1
40.	उज्जैन	3
41.	विदिशा	2
	कुल	**89**

*****